आदेश की क्र0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित
1	2	3

04.05.24

न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

सी0 सी0 ए0 वाद संख्या– 29/2024

[धारा–3(3)(ए)]

राज्य द्वारा पुलिस अधीक्षक

बनाम्

धनन्जय जयसवाल

अधिवक्ता राज्य– लोक अभियोजक, लातेहार

अधिवक्ता प्रतिपक्षी – मिथिलेश कुमार

आदेश

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 118/डी0सी0वी0 दिनांक 26.03.2024 से कुख्यात अपराधकर्मी धनन्जय जयसवाल, पे0–विश्वनाथ जयसवाल,, सा0–नगर, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3(3)(a) के तहत् जिला बदर हेतु प्राप्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी धनन्जय जयसवाल को आरोप पत्र एवं ज्ञापांक 587/विधि, दिनांक–22.04.2024 से बचाव पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा कार्यालय पत्रांक 592/विधि, दिनांक–22.04.2024 से पुलिस अधीक्षक, लातेहार को सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सक्षम पदाधिकारी को अधिकृत करने हेतु सूचित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा अधिकृत थाना प्रभारी, चंदवा एवं लोक अभियोजक, लातेहार उपस्थित हुए। थाना प्रभारी, चंदवा एवं लोक अभियोजक, लातेहार द्वारा बताया गया कि अपराधकर्मी धनन्जय जयसवाल, पे0–विश्वनाथ जयसवाल,, सा0–नगर, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार का रहने वाला है, जो राज्य एवं अन्तर्राज्य स्तरीय कुख्यात पेशेवर अमन श्रीवास्तव गिरोह का अत्यन्त सक्रिय सदस्य है, जिनके अपराधिक गतिविधि के कारण चन्दवा थाना क्षेत्र के लोगों में भय व्याप्त है। इनके अपराधिक क्रियाकलाप से विशेषकर व्यापारिक गतिविधि में संलग्न व्यक्तियों एवं विभिन्न निजी कम्पनियों के कर्मियों, सरकारी योजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों, उनके मुन्शियों, कोल कारोबारियों में भय व्याप्त है। ये व्यापारियों,

Scanned with CamScanner

विभिन्न निजी कम्पनियों के कर्मियों, सरकारी योजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों, उनके मुन्शियों, कोल कारोबारिया को जान मारने की धमकी देकर अक्सर रंगदारी की मांग करते हैं। रंगदारी नहीं देने पर इनके द्वारा धमकी देकर सईडिंग पर फायरिंग करना, पोस्टरबाजी, डरा–धमका कर लेवी वसूलने का काम किया जाता है। इनके अपराधिक गतिविधियों के कारण लोक शांति एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटने की सम्भावना बनी रहती है। चंदवा थाना क्षेत्र की जनता में इतना डर व्याप्त है कि इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कराते है। कुख्यात अपराधकर्मी अमन श्रीवास्तव के सम्पर्क में रहने के कारण (1) चन्दवा थाना कांड संख्या–166/2019, दिनांक– 19.12.2019, धारा–307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके है एवं आरोप पत्र संख्या–81/2020, दिनांक–31.07.2020, (2) चन्दवा थाना कांड संख्या–08/2020, दिनांक–14.01.2020, धारा–386/387/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट में दिनांक–18.06.2020 को जेल जा चुके है एवं आरोप पत्र संख्या–79/2020, दिनांक–31.07.2020 एवं (3) चन्दवा थाना कांड संख्या–09/2020, दिनांक–14.01.2020, धारा–384/385/387/120बी भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट में पुरक आरोप पत्र संख्या–43/2020, दिनांक–30.04.2020 न्यायालय में समर्पित किया गया है। इससे अतिरिक्त इनके विरूद्ध स्थानीय थाना चंदवा में (1) सन्हा संख्या–24/24, दिनांक–25.03.2024 एवं (2) सन्हा संख्या–12/2024, दिनांक–26.03.2024 दर्ज किया गया है। वर्तमान में जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं। इनके अपराधिक गतिविधियों के कारण जिले में आम जनमानस में खौफ पैदा हो गया है तथा जिले में लोक शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो गयी है। जिले की लोक शांति व्यवस्था एवं आम जनमानस के जन जीवन में लोक परिशांति एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण के लिए कुख्यात अपराधकर्मी धनन्जय जयसवाल, पे0–विश्वनाथ जयसवाल, सा0–नगर, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3(3)(a) के तहत् जिला बदर का आदेश पारित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया एवं बहस किया गया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के विरूद्ध निर्गत नोटिस बिल्कुल बेबुनियाद एवं निराधार है। इस न्यायालय के आदेशानुसार

Scanned with CamScanner

प्रत्येक तिथि को थाना में सशरीर उपस्थित होते आ रहे है। विपक्षी को अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की बात कही गयी है जो बिल्कुल मनगढ़ंत है क्योंकि आज तक आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने का किसी प्रकार का साक्ष्य संकलन नही किया गया है। अमन साव गिरोह से संबंध रखने की बात भी बिल्कुल निराधार है। इस संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य विपक्षी के विरूद्ध संकलित नहीं किया गया है। विपक्षी विधि पालक नागरिक एवं कानून का सम्मान करता है तथा न्यायालय के द्वारा स्थापित सभी शर्तों का अनुपालन इमानदारी से करता आ रहे है। ये नियमित रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित होता आ रहा है। विपक्षी के विरूद्ध लगातार 3–4 दिन के अन्तराल में सन्हा दर्ज की गयी है जो नियमसंगत नही है। सन्हा का सत्यापन एवं साक्ष्य का संकलन आज तक नही हुआ है। विपक्षी एक व्यवसायिक व्यक्ति है तथा जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय करता है। उक्त के आलोक में वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षो के तर्को को सुना एवं स्मरण में रखा। पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेज एवं विपक्षी के लिखित प्रतिउत्तर का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अपराधकर्मी धनन्जय जयसवाल के विरूद्ध (1) चन्दवा थाना कांड संख्या–166/2019, दिनांक–19.12.2019, धारा–307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत् गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं आरोप पत्र संख्या–81/2020, दिनांक–31.07.2020, (2)चन्दवा थाना कांड संख्या–08/2020, दिनांक–14.01.2020, धारा–386/387/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट में दिनांक–18.06.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं आरोप पत्र संख्या–79/2020, दिनांक–31.07.2020 एवं (3) चन्दवा थाना कांड संख्या–09/2020, दिनांक–14.01.2020, धारा–384/385/387/120बी भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट में पुरक आरोप पत्र संख्या–43/2020, दिनांक–30.04.2020 न्यायालय में समर्पित किये जाने का उल्लेख किया गया है। अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण इनके विरूद्ध पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा झारखण्ड अपराध नियत्रंण अधिनियम–2002 की धारा–3(1)(ए),3(1)(बी) के तहत प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में भी इनके विरूद्ध अपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहने के कारण स्थानीय थाना में (1) सन्हा संख्या–24/24, दिनांक–25.03.2024 एवं (2) सन्हा

Scanned with CamScanner

संख्या–12/2024, दिनांक–26.03.2024 दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपराधकर्मी धनन्जय जयसवाल, पे0–विश्वनाथ जयसवाल सा0–नगर, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3(3)(a) के तहत् प्रतिबंधित करने तथा जिलाबदर/तड़ीपार करने के लिए अभिलेख में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपराधकर्मी धनन्जय जयसवाल, पे0–विश्वनाथ जयसवाल, सा0–नगर, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3(3)(a) के तहत् प्रतिबंधित करते हुए (3) तीन माह के लिए लातेहार जिला से जिलाबदर/तड़ीपार किया जाता है।

आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक, लातेहार/थाना प्रभारी, चंदवा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, लातेहार, थाना प्रभारी, चंदवा, धनन्जय जयसवाल को भेजे। अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी
लातेहार।

उपायुक्त–सह– जिला
दण्डाधिकारी लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 17:52:15 +05:30
Location: 192.168.5.143

Scanned with CamScanner